न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 21/2017 (अपील)

श्रीमति कंचन बाई पत्नि देवीलाल जाति माली निवासी ग्राम खेडारूद्वा, तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 30.01.2017 मि0नं0 637/2016 न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट तहसील रामगंजमण्डी कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री महेन्द्र कुमार नागर, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–07.01.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम खेडारूद्वा की भूमि खसरा नम्बर 1 की 0.48 हे0 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 637/2016 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 100/– रूपये का शास्ति एवं एक माह (30 दिवस) का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 30.01.2017 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 02.03.2017 को पेश की गई है किअधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ग्राम खेडारूद्वा की भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.48 हे0 पर अतिकमण कर फसल काश्त पर प्रकरण दर्ज कर पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर भूमि से बेदखल करने, 100/– शास्ती तथा 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी की परिभाषा में नहीं आता है, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामिल करवाये बिना,

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

जवाब एवं साक्ष्य का अवसर न देकर आदेश देने में त्रुटि की है, पटवारी रिपोर्ट एवं बयान पटवारी से वादग्रस्त भूमि से पूर्व में बेदखल करने बाबत कोई कथन न होने तथा दखल नामा रिकार्ड पर न होते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में त्रुटि की है । अपीलांट स्वयं के खाते की भूमि पर काबिज है, पटवारी मौके पर पैमाईश कर सरकारी भूमि पर कब्जा बताने पर अपीलान्ट सहर्ष कब्जा छोड़ने को तत्पर है । जुर्माना जमा कर दिया है, अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा भी नहीं है, भूमि खाली है । अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामिल करवाये बिना, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर न देकर आदेश देने में त्रुटि की है, पटवारी रिपोर्ट एवं बयान पटवारी से वादग्रस्त भूमि से पूर्व में बेदखल करने बाबत कोई कथन न होने तथा दखल नामा रिकार्ड पर न होते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में त्रुटि की है । अपीलांट स्वयं के खाते की भूमि पर काबिज है, पटवारी मौके पर पैमाईश कर सरकारी भूमि पर कब्जा बताने पर अपीलान्ट सहर्ष कब्जा छोड़ने को तत्पर है । जुर्माना जमा कर दिया है, अपीलान्ट का भूमि पर कब्जा भी नहीं है, भूमि खाली है । अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट/पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक *30.01.2017* के विरूद्ध यह अपील दिनांक *02.03.2017* को पेश की गई अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि *श्रीमति कंचन बाई पत्नि देवीलाल जाति माली, निवासी ग्राम खेडारूद्धा* तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम *खेडारूद्धा* की *गे.मु. खाल* भूमि खसरा नम्बर *1* रकवा 0.*48* हैक्टेयर गे.मु. खाल में अनाधिकृत कब्जा कर *फसल काश्त की हुई* है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखली *के आदेश* करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 01 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। वकील अपीलांट का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी नहीं किया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलांट के उपस्थिति के अंगूठा निशानी से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करके ही आदेश जारी किया है । उक्त अतिकमित भूमि के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार चेचट से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस अनुसार उक्त विवादित भूमि पर किसी का अतिकमण नहीं होना बताया है ।

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार *चेचट* द्वारा की जावें, तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनां*क* 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner